

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

अपील संख्या 68 / 2020

अनवान् मुकदमा

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री गोपीराम अग्रवाल R.T.I. रिसर्च सेन्टर बाँसवाडा		लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द

प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

निर्णय

दिनांक 21.01.2021

1. अपीलार्थी अनुपरिथत।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द उपस्थित।
3. मैने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14.09.2020 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द सेऊवा अभिलेख से संबंधित सूचना चाही गई थी। सूचना नही मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील पेश की गई हैं।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकि हैं।
6. लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक प.1()सू.अ., 05/2020/1103-04 दिनांक 04.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार वांछित सूचना जरिये पत्रांक प.1()सू.अ., 05/2020/906 दिनांक 29.10.2020 से सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 7(6) के तहत प्रार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकि हैं।
7. अपीलार्थी ना ही पेशी पर उपस्थित हुआ और ना ही कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की हैं। अपील में वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पत्रांक से प्रेषित किये जाने से उक्त अपील खारिज किया जाना समीचीन हैं।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती हैं।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द